

प्र.क.752 / 2018

(खण्डपीठ कं.-12)

आज दिनांक 13.09.2025 को नेशनल लोक अदालत में प्रकरण सुनवाई में लिया गया।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

अभियुक्तगण अनुपस्थित द्वारा अधिवक्ता श्री अमित गुप्ता उपस्थित।

उभयपक्ष द्वारा पूर्व दिनांक पर राजीनामा आवेदन पेश किया गया था जिसका निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

प्रस्तुत राजीनामा आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि उभयपक्ष एक ही गांव जाती के हैं एवं सभी के मध्य राजीनामा हो गया है एवं उनके बीच में अब कोई विवाद शेष नहीं है एवं वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः राजीनामा के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-323 दो काउण्ट, 294, 341, 506, 34 भादसं के अंतर्गत चालान पेश किया गया है एवं दण्ड विधि संहिता में हुये संशोधन वर्ष 2022 के अनुसार धारा 294 एवं 506 राजीनामा योग्य बना दिया गया है एवं उक्त संशोधन आरोपी के हित में है। ऐसी स्थिति में आरोपी को उक्त संशोधन का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में जिन धाराओं के अंतर्गत अपराध करना बताया है। वह सभी धाराएं शमनीय प्रकृति की है। उभयपक्ष के द्वारा बिना किसी भय दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया है एवं राजीनामा लोक हित में है इससे उभयपक्ष के मध्य भविष्य में मधुर संबंध स्थापित होने की पूर्ण संभावना है। फरियादी राजीनामा करने हेतु सक्षम पक्षकार है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाकर राजीनामा के आधार पर आरोपीगण विपिन पुत्र संजय सिंह, राजकुमार पुत्र अर्जुनसिंह, अजय प्रताप पुत्र अर्जुन सिंह एवं संजय सिंह पुत्र अर्जुन सिंह राजावत को भादसं की धारा-323 दो

काउण्ट, 294, 341, 506, 34 भादंस के अपराध के आरोप से उन्मोचित/दोषमुक्त घोषित किया जाकर इस प्रकरण में स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपीगण जमानत पर हैं। आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

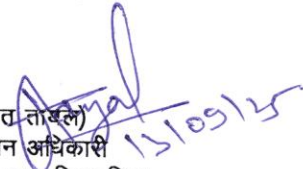
प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

आरोपीगण द्वारा कोई अवधि विचारण के दौरान निरोध में व्यतीत की हो तो उक्त संबंध में दंप्रसं की धारा 428 के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार किया जाए।

प्रकरण का परिणाम विधिवत संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जाए।



(ओ. एस. जादौन)
सदस्य, खण्डपीठ
तह.लहार जिला मिण्ड



(असत ताहिल)

पीठासीन अधिकारी
ख.कं. 12 लहार, जिला मिण्ड